कार्यालय मुख्य अभियन्ता, देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा।

पत्रांकः–9056दे०क्षे०/ पे०पा०अ० दे०क्षे०/2021 दिनांकः– 28/12/2021

सेवा में,

जिलाधिकारी
जनपद बलरामपुर।

विषयः–तुलसीपुर–कोयलाबासा मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) के किमी0–7.00, चैनेज 6.800 पर सड़क के मध्य भाग से बांयी ओर मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–आपका पत्र संख्या–1652/आ0लि0(अना.प्र.प्रत्र)/20 दिनांक–09.10.2020

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0, गोण्डा को उनके पत्रांक–5535/114कामबी–गो0वृ0/2021 दिनांक 08.12.2021 द्वारा तुलसीपुर–कोयलाबासा मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) के किमी0–7.00, चैनेज 6.800 पर सड़क के मध्य भाग से बांयी ओर मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित शर्तों एवं मानचित्र पर अंकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:–

1. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प तुलसीपुर–कोयलाबासा मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) के किमी0–7.00, चैनेज 6.800पर सड़क के मध्य भाग से बांयी ओर स्थित ग्राम मदरहवा, परगना तुलसीपुर, जिला बलरामपुर में स्थित भूमि गाटा संख्या–224 के आशिंक भाग पर मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) के स्थापित करने हेतु मानचित्र प्रस्तावित है।
2. मार्ग के लेपित सतह के मध्य बिन्दु से बांयी ओर 18.30मीटर(60फीट) की दूरी अथवा लोक निर्माण विभाग की स्थाई भूमि जो भी अधिक हो तक कोई भी निर्माण कार्य न कराया जाय एवं उसके बाद ही प्रस्तावित रिटेल आंउटलेट केन्द्र स्थापित किया जाय।
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय मिट्टी का पटाव एवं सर्विस रोड आदि का निर्माण मार्ग की लेपित सतह से न्यूनतम 30 से0मी0 नीचा करना होगा जिसमें मार्ग की लेपित सतह पर जल भराव न हो तथा रिटेल आउटलेट की तरफ 2 प्रतिशत का स्लोप रहना चाहिए।
4. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल स्टोरेज टैंक) एवं विभागीय भूमि के बीच 0.60 मीटर आर0सी0सी0 पक्की ड्रेन बनाई जाय तथा उसे लोहे की ग्रेटिंग से ढका जाय ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सके।
5. सड़क से रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल स्टोरेज टैंक) तक पहुंचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 01 मीटर व्यास की एन0पी0–3 हयूम पाइप/आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कम्पनी/मालिक द्वारा अपने व्यय से कराया जाय।
6. Deceleration & Acceleration lanes का निर्माण पेट्रोल/डीजल पम्प स्वामी स्वंय की भूमि पर करेगा।
7. भू–स्वामित्व की जिम्मेदारी लो0नि0वि0 पर नहीं होगी। भू–स्वामित्व का परीक्षण एवं सत्यापन सम्बन्धित राजस्व विभाग अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। भू–स्वामित्व होने, संलग्न किराये नामें की दशा में ही नक्शा एवं निर्माण कार्य वैध माना जायेगा। अन्यथा यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा
8. IN & EXIT हेतु साईन बोर्ड इस प्रकार लगाये जाये कि वाहनों को स्पष्ट दिखाई दें।
9. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय यू0पी0रोड सा0ले0क0एक्ट–1945 के अन्तर्गत निहित शर्तो का भी पालन करना होगा।
10. मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 बलरामपुर द्वारा ब्लू प्रिन्ट/मानचित्र पर अंकित किये गये प्रतिबन्धों को भी पालन करना अनिवार्य होगा।

Ashish Kumar Sharma
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग
बलरामपुर

11. जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो पम्प मालिक द्वारा लो0नि0वि0 को भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।
12. लो0नि0वि0 की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नही होगा।
13. निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।
14. **यह एन0ओ0सी0 प्रोविजनल है** अन्तिम एन0ओ0सी0 अनुमोदित ड्राइंग एवं लागू प्रतिबन्धों/दिशा निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण कराने के 6 माह के अन्दर आवेदन करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन तिथि के 30 दिवस के अन्दर प्रदान की जा सकेंगी। एक वर्ष तक प्रस्तावित निर्माण कार्य न होने पर पेट्रोल पम्प स्वामी को पुनः अनुमति लेनी होगी।
15. मानचित्र पर अंकित कतिपय प्रतिबन्धों एवं उपरोक्त सभी अथवा एक भी निर्देश एवं एम0ओ0एस0टी0 के पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0/33023/19/99-डी0ओ0-III दिनांक 24.07.2013 तथा "The Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads. 2019" में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पालन न करने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा और विभाग किसी भी प्रकार की हानि आदि के लिए उत्तरदायी नही होगा तथा विभाग के विरूद्ध कोई भी क्लेम नहीं किया जा सकता।
16. प्रमुख अभियन्ता, सामान्य वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-17974एम0टी0/सामान्य वर्ग/60 एम0टी0/1999 दिनांक 11.12.2019 के माध्यम से प्राप्त शासनादेश सं0 1882/23-12-19-1365/17टीसी दिनांक 04 दिसम्बर 2019 द्वारा प्रख्यापित गाईड लाईस "The Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads. 2019" में वर्णित प्रतिबन्धों अनुसार 10 साल के पश्चात पुनः निर्धारित प्रोसेसिंग फीस (रूपया दस हजार मात्र) जमा करने एवं शर्तों का अनुपालन करने पर लाइसेन्स का नवीनीकरण किया जायेगा। शासन द्वारा लिया गया निर्णय श्री उबैदुल्ला अंसारी पुत्र श्री मो0 जुम्मन अंसारी, निवासी-ग्राम गुरचिहवा, तहसील तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर पर बाध्यकारी होगा।
17. विभागीय भूमि में अस्थाई/स्थायी किसी भी तरह का निर्माण नही किया जायेगा एवं उक्त निर्माण कार्य खुला/कृषि क्षेत्र में होना है।
18. नियमानुसार अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बलरामपुर द्वारा लाइसेन्स एवं प्रोसेसिंग फीस का बैंक ड्राफ्ट खण्ड में जमा करा लिया गया है।
19. "The Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads. 2019 के ऐपेन्डिक्स-III में वर्णित लाइसेन्स डीड रू0 100/-(आयल कम्पनी/पेट्रोल पम्प मालिक एवं अधिशास अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित) क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कर ली गयी है।

उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न करने पर रिटेल आउटलेट की संस्तुति निरस्त समझी जायेगी, जिस समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित ऑयल कम्पनी का होगा।

संलग्नकः- मानचित्र मूल में।

28/12/21

(अम्बिका सिंह)
मुख्य अभियन्ता,
देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र
लो0नि0वि0, गोण्डा।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0, गोण्डा को उनके पत्रांक-5535/114काम गो0वृ0/2021 दिनांक 08.12.2021के सन्दर्भ में।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बलरामपुर।

मुख्य अभियन्ता,
देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र
लो0नि0वि0, गोण्डा।

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग
बलरामपुर

Ashish Kumar Sharma
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited